



प्रेस नोट 01 - दिनांक 25.04.2024
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से पीड़ित के खाते से निकाली गई धनराशि कराई गई रिफण्ड

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पीड़ित के साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर उसके खाते से निकाली गयी धनराशि में से 11,000/- ₹0 पीड़ित के खाते में रिफण्ड कराये गये।

संक्षिप्त विवरण – श्री अखिलेशचन्द्र यादव पुत्र सुखराम चन्द्र यादव निवासी 174 ए बी नगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर में प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 12.03.2024 को आनलाइन 46,600/- ₹0 का फ्राड होने विषयक दिया गया था । जिस पर थाना कोतवाली उन्नाव की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आनलाइन फ्रॉड की गयी धनराशि में से 11,000/- ₹0 की धनराशि पीड़ित के खाते में रिफण्ड करायी गयी । शेष राशि के सम्बन्ध में अथक प्रयास किया जा रहा है। अति शीघ्र आवेदक की शेष राशि आवेदक के खाते में रिफण्ड करायी जायेगी।

कार्यवाही करने वाली टीम-

1. अपराध निरीक्षक राजेश यादव थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव ।
2. उ0नि0 बृजेश कुमार यादव थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव ।
3. का0 प्रशांत बालियान थाना कोतवाली सदर उन्नाव।
4. महिला आरक्षी सोनिया शर्मा, थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव ।



प्रेस नोट 02 - दिनांक 25.04.2024
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से पीड़िता के खाते से निकाली गई संपूर्ण धनराशि कराई गई रिफण्ड

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पीड़िता के साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर उसके खाते से निकाली गई 6,840/- ₹0 की संपूर्ण धनराशि पीड़िता के खाते में रिफण्ड कराई गई।

संक्षिप्त विवरण – भूमि यादव निवासी 184 ब्लाक बी कानपुर नगर द्वारा थाना कोतवाली सदर में प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 12.03.2024 को ऑनलाइन 6,840/- ₹0 का फ्राड होने विषयक दिया गया था। जिस पर थाना कोतवाली उन्नाव की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड की गयी संपूर्ण धनराशि 6,840/- ₹0 पीड़िता के खाते में रिफण्ड करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली टीम-

1. अपराध निरीक्षक राजेश यादव थाना कोतवाली सदर, जनपद-उन्नाव।
2. उ०नि० बृजेश कुमार यादव थाना कोतवाली सदर, जनपद-उन्नाव।
3. का० प्रशांत बालियान थाना कोतवाली सदर उन्नाव।
4. महिला आरक्षी सोनिया शर्मा, थाना कोतवाली सदर, जनपद-उन्नाव।



प्रेस नोट 03 - दिनांक 25.04.2024 थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।

अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण – आज दिनांक 25.04.2024 को थाना हसनगंज पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन करते समय ग्राम ऊंचद्वार तिराहे से सूरज खेड़ा जाने वाले रास्ते से अभियुक्त सलमान पुत्र मूला उम्र 34 वर्ष नि० चन्दौली खुर्द थाना हसनगंज उन्नाव को एक अदद अबैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-97/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारंटी का नाम पता

1- सलमान पुत्र मूला उम्र 34 वर्ष नि० चन्दौली खुर्द थाना हसनगंज उन्नाव ।

बरामदगी का विवरण- एक अदद अबैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं०-14/2020 धारा 420/467/468 आईपीसी व 3/5/8 गोबध नि० अधि० व 3/11 पशु क्रूरता अधि थाना मदनापुर ,शाहजहाँपुर ।

2. मु०अ०सं०-16/2020 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना मदनापुर शाहजहाँपुर ।

कार्यवाही करने वाली टीम-

1-उ०नि० श्री अनिल कुमार शर्मा थाना हसनगंज उन्नाव ।

2-का० राजेश कुमार थाना हसनगंज उन्नाव ।





प्रेस नोट 03- दिनांक 25.04.2024 थाना बेहटा मुजावर-जनपद उन्नाव ।

अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एवं क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा एक अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 25.04.2024 को थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन करते समय जोद्धी बाबा स्थान के पास बिचकानी तालाब के सामने तिराहा से अभियुक्त हरिश्याम पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम रोशनाबाद थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष को एक अदद अबैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-107/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

हरिश्याम पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम रोशनाबाद थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 97/2020 धारा 60 आवकारी अधि0 थाना बेहटा मुजावर,
- 2.मु0अ0सं0 107/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहटा मुजावर

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा 12 बोर तथा 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1 उ0नि0 नसीमुद्दीन
- 2.हे0का0 सुभाष चन्द्र
- 3.हे0का0 धर्मपाल





प्रेस नोट 04- दिनांक 25.04.2024 थाना बारासगवर-जनपद उन्नाव ।

अवैध तमंचा के साथ जिला बंदर अपराधी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा एक अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ एक जिला बंदर अपराधी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 25.04.2024 को थाना बारासगवर पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन करते ग्राम अलीपुर तालाब के पास से जिला बंदर अभियुक्त अकुंश सिंह पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम अलीपुर थाना बारासगवर जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष को एक अदद अबैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-48/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 105 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अकुंश सिंह पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम अलीपुर थाना बारासगवर जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा 12 बोर तथा 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 श्री प्रेम नारायन सरोज थाना बारासगवर उन्नाव ।
- 2.उ0नि0 श्री शिवेन्द्र सिंह थाना बारासगवर उन्नाव
- 3.का0 भानू प्रकाश थाना बारासगवर उन्नाव
- 4.का0 बसन्त कुमार थाना बारासगवर उन्नाव





प्रेस नोट 05- दिनांक 25.04.2024
थाना बिहार-जनपद उन्नाव ।

भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई का किया गया गिरफ्तार तथा घटना में शामिल बाल अपचारी(मौसेरा भाई) को पुलिस संरक्षण में लिया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा सर्विलांस सेल की सहायता से हत्या को आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 15.04.2024 को मृतक सुनील कुमार पुत्र स्व0 रज्जनलाल कुशवाहा उम्र करीब 26 वर्ष नि0 ग्राम काछिनखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव का शव ग्राम चोटिहा के बाहर ग्राम बदनखेड़ा को जा रही रोड के किनारे मिला था । अभियुक्त अमन कुशवाहा पुत्र स्व0 रज्जनलाल कुशवाहा उम्र करीब 21 वर्ष नि0 ग्राम काछिनखेड़ा मजरा कलानी थाना बिहार जनपद उन्नाव द्वारा थाना बिहार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर देकर दिनांक 17.04.2024 को मु0अ0सं0 91/24 धारा 302/201 भादवि में पंजीकृत कराया गया । मुकदमा उपरोक्त की सघन विवेचना करते हुए व सर्विलांस सेल उन्नाव की मदद से मृतक का छोटा भाई मुकदमा वादी अभियुक्त अमन कुशवाहा पुत्र स्व0 रज्जनलाल कुशवाहा उम्र करीब 21 वर्ष व मृतक का मौसेरा भाई 2.बाल अपचारी नि0गण ग्राम काछिनखेड़ा मजरा कलानी थाना बिहार जनपद उन्नाव के द्वारा ही सुनील उपरोक्त की हत्या करना पाया गया । मृतक सुनील कुमार उम्र करीब 26 वर्ष शराब पीने का आदी था तथा सुनील कुमार आए दिन शराब पीकर अपनी माँ व छोटे भाई अमन कुशवाहा के साथ गाली गलौज व मारपीट किया करता था और मृतक द्वारा अपनी मौसी के लड़के बाल अपचारी को भी जान से मारने की धमकी दी गयी थी । उक्त कारणों के कारण मृतक के छोटे भाई अमन कुशवाहा व मौसी के लड़के बाल अपचारी द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया । उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना बिहार द्वारा गहनता से सम्पादित करते हुए सर्विलांस सेल उन्नाव की मदद से अभियुक्त अमन कुशवाहा व बाल अपचारी की घटना में संलिप्तता पाए जाने अभियुक्त अमन कुशवाहा उपरोक्त को सुमेरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया तथा बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया एवं एक अदद आला कत्ल कुल्हाड़ी,खूनालूद सादी मिट्टी,एक अदद जूता ब्लड लगा हुआ, दरी का टुकड़ा ब्लड लगा हुआ, काले

रंग का लोवर व शर्ट, खाद की खाली बोरी/ टाट ब्लड लगा हुआ, अभियुक्त अमन कुशवाहा की धुली हुयी बनियान ब्लड लगा हुआ बरामद किया गया।

गिरफ्तार/अभिरक्षा में अभियुक्त/बाल अपचारी-

- 1.अमन कुशवाहा पुत्र स्व0 रज्जनलाल कुशवाहा उम्र करीब 21 वर्ष
- 2.बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण-

- 1.एक अदद आला कत्ल कुल्हाड़ी
- 2.खूनालूद सादी मिट्टी
- 3.एक अदद जूता ब्लड लगा हुआ
- 4.दरी का टुकड़ा ब्लड लगा हुआ
- 5.काले रंग का लोवर व शर्ट
- 6.खाद की खाली बोरी/ टाट ब्लड लगा हुआ
- 7.अभियुक्त अमन कुशवाहा की धुली हुयी बनियान ब्लड लगा हुआ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.प्र0नि0 शिवप्रकाश पाण्डेय
- 2.हे0कां0 रत्नेश कुमार (सादे वस्त्रों में रहे)
- 3.कां0 अवनीश कुमार

सर्विलांस टीम:-

- 1.हे0कां0 राधेश्याम सर्विलांस सेल

